रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

DPA I, II & III

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 533] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 26, 2015/भाद्र 4, 1937

No. 533] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 26, 2015/BHADRA 4, 1937

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अगस्त, 2015

सा.का.नि. 665(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और (i) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, समंक विधायन प्रभाग तथा सर्वेक्षण अभिकल्प एवं अनुसंधान प्रभाग (समंक विधायन सहायक) भर्ती नियम, 1977 (ii) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, समंक विधायन प्रभाग और सर्वेक्षण अभिकल्प एवं अनुसंधान प्रभाग (समंक विधायन निरीक्षक) भर्ती नियम 1978, (iii) समंक विधायन प्रभाग और सर्वेक्षण अभिकल्प एवं अनुसंधान प्रभाग, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (अधीक्षक) भर्ती नियमावली 1986, को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय, समंक विधायन प्रभाग तथा सर्वेक्षण अभिकल्प एवं अनुसंधान प्रभाग में इलेक्ट्रोनिक आंकड़ा प्रक्रमण (आंकड़ा प्रक्रमण सहायक श्रेणी- 1, श्रेणी-2 और श्रेणी-3) पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभः**-(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय, समंक विधायन प्रभाग तथा सर्वेक्षण अभिकल्प एवं अनुसंधान प्रभाग, इलेक्ट्रॉनिक आंकड़ा प्रक्रमण (आंकड़ा प्रक्रमण सहायक – श्रेणी-1, श्रेणी-2 और श्रेणी-3) पद भर्ती नियम, 2015 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे।

2. लागू होनाः- ये नियम, इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (i) में यथा विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण,वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमानः**-उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन बैंड तथा वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं, आदिः**-उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. निरर्हताः– वह व्यक्ति –

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगाः

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. **शिथिल करने की शक्ति:**-जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. **व्यावृति:**- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष वर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान
(1)	(2)	(3)	(4)
1.आंकड़ा प्रक्रमण सहायक श्रेणी-I	*33 (2015) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', राजपत्रित अननुसचिवीय	वेतन बैंड-2, 9300-34800 रु. + ग्रेड वेतन 4800 रु.

चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(5)	(6)	(7)
चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणीयां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नतिः- आंकड़ा प्रक्रमण सहायक श्रेणी-2, जिन्होंने समंक विधायन प्रभाग तथा सर्वेक्षण अभिकल्प और अनुसंधान प्रभाग में वेतन बैंड-2, 9300-34800 रूपए +ग्रेड वेतन 4600 रु. में 2 वर्ष की नियमित सेवा की हो तथा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कम्प्यूटर अनुप्रयोग या	समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- (1) अपर महानिदेशक, समंक	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

सूचना प्रौद्योगिकी या कंप्यूटर विज्ञान में मास्टर डिग्री धारित हो या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कंप्यूटर इंजीनियरिंग या कंप्यूटर विज्ञान या कंप्यूटर तकनीक या कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग या सूचना प्रौद्योगिकी में बीई या बीटेक हो और समंक विधायन प्रभाग तथा सर्वेक्षण अभिकल्प एवं अनुसंधान प्रभाग में 2 सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो। टिप्पणी 1: इन नियमों की अधिसूचना की तारीख को आंकड़ा प्रक्रमण सहायक श्रेणी-2 के पदों पर नियमित आधार पर पद धारण किए हुए पदाधिकारियों को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कंप्यूटर अनुप्रयोग या सूचना प्रौद्योगिकी या कंप्यूटर विज्ञान में मास्टर डिग्री या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से बीई या बीटेक की डिग्री प्राप्त होने संबंधी अर्हता की छूट होगी। **टिप्पणी 2:** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर क्षेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि पूरी कर ली हो। **टिप्पणी 3:** प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।	विधायन प्रभाग- अध्यक्ष; (2) उप महानिदेशक, समंक विधायन प्रभाग- सदस्य; (3) निदेशक (प्रशासन) समंक विधायन प्रभाग तथा सर्वेक्षण अभिकल्प और अनुसंधान प्रभाग–सदस्य; (4) निदेशक या उप निदेशक, क्षेत्र संकार्य प्रभाग, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय –सदस्य।	

(1)	(2)	(3)	(4)
2. आंकड़ा प्रक्रमण सहायक श्रेणी-2	*120 (2015) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', राजपत्रित अननुसचिवीय	वेतन बैंड-2, 9300-34800 रु. + ग्रेड वेतन 4600 रु.।

(5)	(6)	(7)
चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसमें अल्पावधि संविदा भी शामिल है।

(11)	(12)	(13)
प्रोन्नतिः- समंक विधायन प्रभाग तथा सर्वेक्षण अभिकल्प और अनुसंधान प्रभाग में वेतन बैंड-2, 9300-34800 रु.+ग्रेड वेतन 4200 रु. में ऐसे आंकड़ा प्रक्रमण सहायक श्रेणी-III जिन्होंने इंस ग्रेड में 5 वर्ष की नियमित सेवा की हो तथा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कम्प्यूटर अनुप्रयोगों या सूचना प्रौद्योगिकी या कम्प्यूटर विज्ञान में बैचेलर डिग्री हो और समंक विधायन प्रभाग तथा सर्वेक्षण अभिकल्प और अनुसंधान प्रभाग में आंकड़ा प्रसंस्करण में दो सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो। टिप्पणी 1 :- इन नियमों के अधिसूचित किए जाने की तारीख को नियमित आधार पर आंकड़ा प्रक्रमण सहायक श्रेणी 3 के पद पर विद्यमान पदधारियों को मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कंप्यूटर अनुप्रयोग या सूचना प्रौद्योगिकी या कंप्यूटर विज्ञान में बैचेलर डिग्री की अनिवार्यता से छूट प्रदान की जाएगी। टिप्पणी 2 :- जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक अथवा पात्रता सेवा पूर्ण कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। टिप्पणी 3 :- प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख जिससे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना विस्तार किया गया है से पूर्व किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।	समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- (1) अपर महानिदेशक, समंक विधायन प्रभाग- अध्यक्ष; (2) उप महानिदेशक, समंक विधायन प्रभाग- सदस्य; (3) निदेशक (प्रशासन), समंक विधायन प्रभाग तथा सर्वेक्षण अभिकल्प एवं अनुसंधान प्रभाग –सदस्य; (4) निदेशक या उप-निदेशक, क्षेत्रीय संकार्य प्रभाग, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय -सदस्य।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

(5)

प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)

1. केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान या लोक क्षेत्र के उपक्रमों या अर्ध-सरकारी कानूनी या स्वायत्त संगठन के अधीन ऐसे अधिकारीः

(क)(i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हों:

या

(ii) जिनकी मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड 2, 9300-34800रू.+ ग्रेड वेतन 4200रू. या समतुल्य श्रेणी में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् पांच वर्ष की सेवा है; और

(ख) निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं रखते हैं:-

~~कंप्यूटर अनुप्रयोग या सूचना प्रौद्योगिकी या~~ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कंप्यूटर विज्ञान में मास्टर डिग्री या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कंप्यूटर इंजीनियरिंग या कंप्यूटर विज्ञान या कंप्यूटर प्रौद्योगिकी या कंप्यूटर विज्ञान तथा इंजीनियरिंग या सूचना प्रौद्यागिकी में बी.ई या बी.टेक।

टिप्पणी 1:- पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, वे प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के लिए पात्र नहीं होंगे।

टिप्पणी 2:- प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि भी है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पणी 3 : प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को सिवाय उस दशा के

जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का एक साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक ग्रेड में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।		

(1)	(2)	(3)	(4)
3.आंकड़ा प्रक्रमण सहायक श्रेणी-3	*295 (2015) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित अननुसचिवीय	वेतन बैंड-2, 9300-34800 रु. + ग्रेड वेतन 4200 रु.

(5)	(6)	(7)
लागू नहीं होता।	30 वर्ष से अधिक नहीं। टिप्पण l.- केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए आयुसीमा में 5 वर्ष की शिथिलता है। टिप्पण 2.- आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न की वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्ष्यद्वीप-के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।	(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कम्प्यूटर अनुप्रयोग या सूचना प्रौद्योगिकी में बैचलर डिग्री: या (ii) कम्प्यूटर पर गति परीक्षण के द्वारा आंकड़ा प्रक्रमण कार्य सुनिश्चित करने हेतु कम से कम प्रति घंटा 15000 कुंजी दाब की गति परीक्षण। टिप्पण 1:अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं शिथिल की जा सकती है।

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	2 वर्ष, जो 2 सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया जाने के अध्ययधीन है।	सीधी भर्ती द्वारा: टिप्पण:- पदधारी की प्रतिनियुक्ति या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या अधिक की अवधि के लिए बाहर रहने के कारण होने वाली रिक्तियों को केन्द्रीय सरकार के निम्न अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति आधार पर भरी जा सकेगी: (क). (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हो; या (ii) जिनकी मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-I, 5200-

(7)

		20200रु.+ग्रेड वेतन 2800 रु. या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में छह वर्ष की सेवा हो, और (ख). स्तंभ 7 के अधीन सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षणिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों, (प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक न हो)

(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति, (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. अपर महानिदेशक, समंक विधायन प्रभाग - अध्यक्ष 2. उप महानिदेशक, समंक विधायन प्रभाग - सदस्य 3.निदेशक (प्रशासन), समंक विधायन प्रभाग तथा सर्वेक्षण अभिकल्प एवं अनुसंधान प्रभाग – सदस्य 4. निदेशक या उप निदेशक, (क्षेत्र संकार्य प्रभाग, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय)-सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. ए-12018/8/2010-प्रशा.3]

ए. के. यादव, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF STATISTICS ANDPROGRAMME IMPLEMENTATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th August, 2015.

G.S.R. 665(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of:- (i)National Sample Survey Organisation, Data Processing Division and Survey Design and Research Division (Data Processing Assistant) Recruitment Rules, 1977; (ii) National Sample Survey Organisation, Data Processing Division and Survey Design and Research Division (Data Processing Supervisor) Recruitment Rules, 1978; and (iii) Data Processing Division and Survey Design and Research Division, National Sample Survey Organisation, (Superintendent) Recruitment Rules, 1986, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the Electronic Data Processing posts (Data Processing Assistant - Grade I, II and III) in the Ministry of Statistics and Programme Implementation, Data Processing Division and Survey Design and Research Division of National Sample Survey Office, namely :-

1. **Short title and commencement :-(1)** These rules may be called the Ministry of Statistics and Programme Implementation, National Sample Survey Office, Data Processing Division and Survey Design and Research Division, Electronics Data Processing posts (Data Processing Assistant -GradeI, II and III) Recruitment Rules, 2015.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. **Application:-**These rules shall apply to the posts specified in column(1) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Number of posts, classification, pay band and grade pay or payscale :-** The number of posts, their classification,pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule

4. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.:-** The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

5. **Disqualification:** - No person-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person:
shall be eligible for appointment to the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such a marriage is permissible under the personal law applicable to such person and other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax:** - Where the CentralGovernment is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order,for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to anyclass or category of persons.

7. **Saving:** - Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Pay band and grade pay or payscale.
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Data Processing Assistant Grade-I.	*33(2015) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B'Gazetted, Non-Ministerial.	Pay band-2, Rs.9300-34800/- plus grade pay of Rs. 4800/-.

Whether selection post or non-selection post.	Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
(5)	(6)	(7)
Selection.	Not applicable.	Not applicable.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	By promotion.

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Promotion:- Data Processing Assistant Grade II in Data Processing Division/ Survey Design and Research Division in pay band-2, Rs. 9300-34800/- with grade pay of Rs. 4600/- with two years regular service in the grade and possessing Master's Degree in Computer	Group 'B' Departmental Promotion Committee(for considering promotion) consisting of:- (1)Additional Director General, Data Processing Division-Chairman; (2)Deputy Director General, Data Processing Division-Member;	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

(19)

Application or Information Technology or Computer Science from a recogniseduniversity or institute; or Bachelor of Engineering or Bachelor of Technology in Computer Engineering or Computer Science or Computer Technology or Computer Science and Engineering or Information Technology from a recogniseduniversity or institute and have successfully completed training of two weeks in the data processing in Data Processing Division or Survey Design and Research Division. **Note 1**: The existing incumbents holding the post of Data Processing Assistant Grade-II on regular basis on the date of notification of these rules are exempted from the requirement of possessing Master's Degree in Computer Application or Information Technology or Computer Science of recognized University or Institute; or Bachelor of Engineering or Bachelor of Technology in Computer Engineering or Computer Science or Computer Technology or Computer Science and Engineering or Information Technology from a recogniseduniversity or institute. **Note2:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Note 3:** For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Commission .	(3)Director (Administration), Data Processing Division/ Survey Design and Research Division- Member; (4)Director/Deputy Director from FieldOperations Division, National Sample Survey Office – Member.	

(1)	(2)	(3)	(4)
2. Data Processing Assistant Grade - II.	*120(2015) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B'Gazetted, Non-Ministerial.	Pay band-2, Rs.9300-34800/- plus grade pay of Rs. 4600/-.

(5)	(6)	(7)
Selection.	Not applicable.	Not applicable.

3653GI/15-3

(105)

(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	By promotion failing which by deputation (including short-term contract).

(11)	(12)	(13)
Promotion:- Data Processing Assistant Grade III in Data Processing Division or Survey Design and Research Division in pay band-2, Rs. 9300-34800/- with grade pay of Rs. 4200/- with five years regular service in the grade and possessing Bachelor's Degree in Computer Applications or Information Technology or Computer Science from a recogniseduniversity or institute and have successfully completed training of two weeks in data processing in Data Processing Division or Survey Design and Research Division. **Note 1:** The existing incumbents holding the post of Data Processing Assistant Grade III on regular basis on the date of notification of these rules are exempted from the requirement of possessing Bachelor's Degree in Computer Applications or Information Technology orComputer Science from recognized university or institute; **Note 2:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Note 3:** For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Commission . **Deputation (including short-term contract):-** (1) Officers under the Central Government or State Governments or	**Group 'B' Departmental Promotion Committee(for considering promotion) consisting of :-** (1)Additional Director General, Data Processing Division-Chairman; (2)Deputy Director General, Data Processing Division-Member; (3)Director (Administration), Data Processing Division/ Survey Design and Research Division-Member; (4)Director/Deputy Director from Field Operations Division, National Sample Survey Office –Member.	**Consultation with Union Public Service Commission not necessary.**

universities or recognisedresearch institutes or public sector undertakings or semi-Government statutory or autonomous organisations:- (A)(i)holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in pay band-2, Rs 9300-34800/-with grade pay of Rs. 4200/- or equivalent in the parent cadre or department; and (B)possessing the following educational qualifications:- Master's Degree in Computer Application or Information Technology or Computer Science from a recognized university or institute; or Bachelor of Engineering or Bachelor of Technology in Computer Engineering or Computer Science orComputer Technology or Computer Science and Engineering or Information Technology from a recognized university or institute. **Note 1:-** The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2:-** The period of deputation (including short-term contract)including the period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short- term contract) shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications. **Note 3:-** For purposes of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendation has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale and where this benefit will		

3653GI/15-4

(12)

extend only for post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.		

(1)	(2)	(3)	(4)
3. Data Processing Assistant Grade-III.	*295(2015). *subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B' Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Pay band-2, Rs.9300-34800/- plus grade pay of Rs. 4200/-.

(5)	(6)	(7)
Not applicable.	Not exceeding thirty years. **Note1:Relaxable for** Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. **Note 2:-** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman Nicobar Islands or Lakshadweep).	(I)Bachelor's Degree in Computer Applications or Information Technology or Computer Science from a recognised university or institute; (II) a speed test of not less than 15000 Key Depressions per hour for data entry work to be ascertained through speed test on computer. **Note :** Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or competent authority for reasons to be recorded in writing in case of candidates otherwise well qualified.

(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Two years subject to successful completion of mandatory induction training of two weeks duration.	By direct recruitment. Note: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government: (A)(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with six years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in pay band -1, Rs. 5200-20200/- with grade pay of Rs.2800/- or equivalent in the parent cadre or department; and (B) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7). (The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty six years on the closing date of receipt of applications.)

(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Group 'B' Departmental Confirmation Committee(for considering confirmation) consisting of :- (1) Additional Director General, Data Processing Division-Chairman; (2)Deputy Director General, Data Processing Division-Member; (3)Director (Administration), Data Processing Division/ Survey Design and Research Division-Member; (4)Director/Deputy Director from Field Operations Division, National Sample Survey Office –Member.	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

[F. No. A- 12018/8/2010-Ad.III]
A. K. YADAV, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.